

अन्तिम डिक्री (आदेश 20के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- श्री पुष्कर कुमार मित्तल, आर.ए.एस

1. ईसर पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी साल्याखेडा तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड़।

..... वादी

बनाम

1. कल्याण सिंह पुत्र गौरा बाई जाति गुर्जर निवासी साल्याखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़।
2. ललता बाई पत्नी मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी साल्याखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़।
3. अनार बाई पत्नी इंदर सिंह जाति गुर्जर निवासी साल्याखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़।
4. ललता बाई पत्नी पर्वत सिंह जाति गुर्जर निवासी साल्याखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़।
5. हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरथाना जरिये शाखा प्रबन्धक मनोहरथाना जिला झालावाड़
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955

मुकदमा नं0 :- 154 / दावा / 2011

निर्णय दिनांक :- 07.04.2026

- उपस्थित :- 1. श्री केसरी सिंह पुष्पद, अधिवक्ता वादी  
2. श्री कैलाशचंद वैष्णव, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 07.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि :- तहसीलदार मनोहरथाना के पत्रांक 26 दिनांक 12.02.2026 से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट (बटवारा प्रस्ताव) अनुसार ग्राम गोरधनपुरा तहसील

1

  
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

मनोहरथाना के माल की नई खाता संख्या 14 पुरानी 21 की खसरा नंबर 13 की 10 बीघा 08 बिस्वा आराजी का मुताबिक विभाजन पत्र निम्न विवरणानुसार पृथक-पृथक खाते दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाये।

वादी :-

क्रम	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. में)	लगान	किस्म	दिशा
1	ईसर पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी साल्याखेडा तहसील मनोहर थाना हिस्सा संपूर्ण	13	0.5611	—	बा. दो.	पश्चिम


प्रतिवादीगण :-

क्रम	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. में)	लगान	किस्म	दिशा
1	मांगीलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 49/138, ललता बाई पत्नी पर्वतसिंह हिस्सा 10/69, ललताबाई पत्नी मांगीलाल हिस्सा 1/2 जाति गुजर सा0 साल्याखेडा	13	1.1224	—	बा. दो.	पूर्व

नोट :- 1. विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री के जुज रहेगा।

2. रहन पूर्ववत् दर्ज रहेगा।

अंतिम डिक्री आज दिनांक: 07.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना  
जिला झालावाड